

v/; k; & 9
NRrhl x< ea uxjhdj.k , oa
uxjh; LFkkuh; Lo&'kkl u dk; kRed , oa foRrh; fodshhdj.k

9.1.0 प्रस्तावना :

9.1.1 इस अध्याय में हम **iFler%** छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की प्रक्रिया की उसके विविध आयामों में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह नगरीकरण का आकार एवं गति ही है, जो कतिपय अन्य कारकों के साथ नगरीय क्षेत्रों में नगरीय सेवाओं एवं अधोसंरचना की माँग को प्रभावित करती है। हम **u-LFkk-fudk; k** के विकास संबंधित विधानांतर्गत उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा अपने कार्यों के संपादन हेतु अपने साधन जुटाने के लिये उन्हें उपलब्ध करारोपण के अधिकारों की भी चर्चा करेंगे। हमने एक और प्रश्न पर गौर किया है कि नगरीकरण के दबाव एवं 1991 से देश में प्रारम्भ किये गये आर्थिक सुधारों ने न.स्था.निकायों के कार्यों एवं वित्त को किस प्रकार प्रभावित किया है ?

9.2.0 छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की प्रक्रिया :

9.2.1 **NRrhl x<+** अपेक्षाकृत कम नगरीकृत राज्यों में से एक है तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी **uxjh; tul [;k** केवल **20-09%** थी जबकि यह मध्यप्रदेश में 26.67% एवं भारत में 27.78% थी। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के मान से भारत के 35 राज्यों में इसका स्थान 27 वाँ है। केवल सात राज्यों यथा **fgekpy insk] fcgkj] fl fDde] f=igkj ekkky;] vkl ke , oa mMMh k** में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत छत्तीसगढ़ से कम है। वर्ष 2001 में राज्य में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 1.46% भाग था।

9.2.2 जैसाकि **NRrhl x<+ jkT;** का नवम्बर, 2000 के पूर्व अस्तित्व नहीं था परन्तु छत्तीसगढ़ का भू-भाग पूर्व में भिन्न-2 समयों के लिये, भिन्न-भिन्न राज्यों के अंग के रूप में विद्यमान था। **l kj.kh Ø 9-1** में **bl Hk&Hkx] e/; insk vlj Hkjr dh dy tul [;k ds ifr'kr ds : i ea ogk; dh uxjh; tul [;k 1901 l s 2001 dh vof/k** के लिये प्रस्तुत की गयी है।

सारणी से स्पष्ट होता है, कि इस क्षेत्र में 1951 तक नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही परन्तु उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991 में 48.90% से घटकर 2001 में 36.24% रह गई, भले ही यह दर *e/; ins'k* एवं *ns'k* से अधिक रही । *NRrhl x<+ ea xteh.k tul ũ;k* का अनुपात 1901 के 96.92% से घटकर, 2001 में 79.92% रह गया। फिर भी राज्य की लगभग 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। राज्य एवं भारत के बीच नगरीकरण के स्तर में अंतर जो 1901 में 35 गुना था, कम होकर वर्ष 2001 में 1.4 गुना रह गया। यद्यपि राज्य में 1961 से नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है, फिर भी राज्य की गिनती भारत के कम नगरीकृत राज्यों में की जाती है ।

9.2.3 राज्य के विभिन्न जिलों के बीच नगरीकरण के स्तर में काफी अंतर है। वर्ष 2001 की जनगणना के समय राज्य के 16 जिलों में से दुर्ग, राज्य का सर्वाधिक नगरीकृत जिला था, जहाँ की 38.2% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी तथा उसके बाद के क्रम में कोरबा (36.3%), रायपुर (30.4%), एवं कोरिया (29.8%) जिले थे। जशपुर जिले में न्यूनतम नगरीकरण था (4.6%), तथा उसके बाद कांकेर (4.8%), सरगुजा (7.0%), दन्तेवाडा (7.2%), कवर्धा (7.7%) एवं बस्तर (10.0%) थे। राज्य के तीन जिलों में जिनमें से प्रत्येक की नगरीय जनसंख्या 30% से अधिक है यथा दुर्ग, कोरबा एवं रायपुर, में राज्य के कुल 97 कस्बों में से 30 कस्बे हैं तथा शेष 13 जिलों में 67 कस्बे हैं।

8.2.4 *I kj.kh Ø- 9-2 में 1991&2001 ds chp uxjh; {ks=ka dh tul ũ;k of) , oa dLcka dh I ũ;k ds I kfk fty&okj uxjhdj.k* का स्तर दर्शाया गया है ।

9.2.5 जिलों में नगरीकरण का स्तर मुख्यतः समय के साथ-साथ कस्बों की संख्या में वृद्धि पर निर्भर करता है। आश्चर्य की बात है कि राज्य में 42 ऐसी तहसीलें हैं जिनमें शून्य नगरीय जनसंख्या है। राज्य सरकार द्वारा किसी बसाहट को वहाँ न.स्थानिकाय गठित कर ग्रामीण से नगरीय में बदल देने से जिले में अचानक ही नगरीकरण का स्तर बढ़ जाता है ।

9.2.6 *jkT; ea uxjhdj.k dh ifØ;k /kheh] vfu;kftr] vLr 0;Lr ,oa xj&dk; kRed jgh gñ* भारी एवं आधारभूत प्रमुख रूप से 'निर्यात-आधारित' उद्योगों से संबंधित कुछ थोड़े से केन्द्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये भारी विनियोग ने केवल उन्हीं नगरीय केन्द्रों में जनसंख्या के जमाव को बढ़ावा दिया है परन्तु ये

केन्द्र विकास एवं परिवर्तन के एजेन्ट नहीं बन सके हैं। जहाँ एक ओर राज्य की उत्पादन प्रक्रिया काफी हद तक गांव आधारित बनी हुई है, वहीं भौगोलिक क्षेत्र की श्रेणी—बढ़ता निरंतर बड़े शहरों के पक्ष में अधिकाधिक केन्द्रित होती जा रही है।

9.2.7 **I kj.kh Ø- 9-3** में **jkt; dh uxjh; Jskh c}rk** जिसमें विभिन्न जनसंख्या वर्गों में कस्बों की संख्या तथा कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, को प्रस्तुत किया गया है।

कस्बों की संख्या, सारणी क्र. 9.2 में दी गयी संख्या से भिन्न है क्योंकि **1 uxj ikfyd fuxe, 1 uxj ikfydk ifj'kn, 2 uxj ipk; r'** और 9 जनगणना शहर भिन्न—भिन्न शहर समूहों में शामिल कर दिये गये हैं।

9.2.8 राज्य में ऐसे 7 नगरीय समूह हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या एक लाख एवं इससे अधिक है। 50000 से 99999 की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 1991 के 6 से घटकर, 2001 में 5 हो गई, जिसका कारण एक शहर का अधिक जनसंख्या वाले वर्ग में चला जाना था। वर्ष 2001 में राज्य के 84 कस्बों में 72 ऐसे छोटे कस्बों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50000 से कम है। ये छोटे कस्बे वास्तव में बड़े ग्राम ही हैं। कस्बों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वर्ग III के कस्बों में है जिनकी संख्या 1991 की 12 से बढ़कर 2001 में 20 हो गयी। इसका आंशिक कारण नये औद्योगिक एवं बाजार केन्द्रों का उदय तथा आंशिक राज्य सरकार द्वारा **u-LFkk-fudk; ka** का गठन था। कस्बे का बड़े आकार—वर्ग में चले जाना तथा जनसंख्या में परिभाषा परिवर्तन होना भी इसके कारण हो सकते हैं।

9.2.9 **I kj.kh Ø- 9-3 ; g** भी स्पष्ट करती है कि **uxjh; tul q; k dk yxHkx 63% Hkx oxl I ds 'kgjka ea dflnr g** जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 1 लाख अथवा इससे अधिक तथा औसत जनसंख्या 375927 है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 72% भाग वर्ग I एवं II के कुल 12 शहरों में निवास करता है, तथा शेष 28% उन 72 कस्बों में जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50000 से कम है। यदि हम पृथक से उन छोटे कस्बों को ले जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 20000 से कम है, हम पाते हैं कि ऐसे छोटे कस्बों की संख्या 52 है तथा इनमें कुल नगरीय जनसंख्या

का 14.86% भाग रहता है। नगरीय श्रेणी विभाजन का यह विश्लेषण स्पष्ट करता है, कि राज्य का यह ढाँचा शीर्ष पर भारी है जहाँ 7 शहरों में, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या एक लाख अथवा अधिक है, कुल नगरीय जनसंख्या का 63% भाग केन्द्रित है।

9.2.10 उपर्युक्त आँकड़ों से एक और तथ्य ज्ञात होता है कि **NRrh/ x<+ tks Nk/s dLck/ dk jkT; g\$** में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एक भी शहर नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रदेश की राजधानी रायपुर में है (758181 **uxj ikfyd fuxe**) तथा उसके बाद दुर्ग (556366) का क्रम है। देश के अधिक नगरीकृत राज्यों से भिन्न राज्य के न.स्था.निकायों को नगरीय समस्याओं का अधिक सामना नहीं करना पड़ता है। परन्तु इस संबंध में अत्यधिक संतोष करना उचित नहीं है क्योंकि कतिपय कस्बों/शहरों की प्रक्षेपित तीव्र जनसंख्या वृद्धि को देखते हुये कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तेज नगरीकरण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये उन्हें अपने प्रशासन तन्त्र एवं साधनों को तैयार करना होगा। इसके अतिरिक्त नगरीय सेवाओं का वर्तमान स्तर अत्यन्त कमजोर है (जैसा कि **l kj.kh dz 9-4** से स्पष्ट है) तथा इसे सुधारना होगा।

9.2.11 राज्य का दर्जा मिलने के बाद हम आशा करते हैं, कि राज्य का विकास स्तर ऊँचा उठेगा, जो अवश्य ही नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या की न्यून उत्पादकता वाली जीवन-यापन कृषि पर निर्भरता में बहुत थोड़ी ही कमी आई है। **ikfkfed {ks=** का **l-jk-?k.m.** को योगदान अभी ऊँचा बना हुआ है यद्यपि यह 1993-94 के 40.33% से घटकर, 2003-2004 में, 35.46% हो गया। यह आश्चर्यजनक है कि इसी अवधि में **f}rh; d {ks=** का योगदान 30.23% से कम होकर 29.72% रह गया। **l dk {ks=** का विकास अधिक तेजी से नहीं हो रहा है तथा इसका योगदान 29.44% से बढ़कर 34.83% हुआ है। आय वितरण का यह ढाँचा बढ़ते हुये नगरीकरण के अनुरूप नहीं है।

9.2.12 राज्य एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत करता है जो **ysol ds nkgjs fodkl ekMy** के अनुरूप है।¹ दोहरेपन की समस्या अर्थात् अत्यधिक अतिरेक जीवनयापन कृषि क्षेत्र तथा अपेक्षाकृत छोटे औद्योगिक क्षेत्र का साथ-साथ बने रहना, अभी भी छत्तीसगढ़ के विकास की उल्लेखनीय विशेषता बनी हुई है। कृषि विकास पर बल देने से श्रम का बड़ी संख्या में कृषि से निकलकर द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्रों में स्थानान्तरण होगा तथा इससे आधुनिक क्षेत्र में इस अतिरिक्त श्रम शक्ति का उत्पादक उपयोग कर उसके सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में सूखे की स्थिति में ग्रामीण जनसंख्या का बड़ी संख्या में नगरीय क्षेत्रों एवं **egjkl"V] e/; insk** एवं कुछ अन्य पड़ोसी राज्यों को पलायन हो रहा है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र पलायनकर्ताओं को स्थायी एवं पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते, अतएव यह पलायन धारणीय न होकर केवल अस्थायी होता है। श्रमिकों का ग्रामीण से नगरीय अर्थव्यवस्था में स्थानान्तरण अत्यन्त धीमा रहा है क्योंकि नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास बहुत धीमा है, जो द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्रों के धीमें विकास से स्पष्ट होता है। पृथक राज्य बनने के बाद अब **NRrhl x<+** में अपने भूमि, खनिज, ऊर्जा, एवं जन संसाधनों के नियोजित एवं समन्वित उपयोग के द्वारा तेजी से विकास के अवसर है। इससे विकास प्रक्रिया को काफी समर्थन मिलेगा, जो नगरीकरण को तेज करेगा। सुधार पश्चात् की अवधि में विकास रणनीति में अधिक बल घरेलू एवं नगरीय दोनों स्रोतों से निजी निवेश को आमंत्रित करने पर देना चाहिये। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये अधोसंरचना के निर्माण एवं उसमें सुधार के मामलों में राज्य की भूमिका अहम् होगी। इस संदर्भ में विशेषकर बड़े शहरों में नस्था.निकायों को नगरीय अधोसंरचना निर्माण में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। छोटे कस्बों एवं उनकी अर्थव्यवस्थाओं का विकास बड़े शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा इस प्रकार नगरीय जनसंख्या के केन्द्रीकरण को कम करने में सहायक होगा।

9.2.13 नगरीय सेवाओं एवं कार्यों का वर्तमान स्तर कमजोर एवं अपर्याप्त है। हाल ही में **XII oa foRr vk; ksx** ने अपने प्रतिवेदन में वंचितता के आधार पर परिवारों के आँकड़े प्रकाशित किये हैं तथा विभिन्न राज्यों के लिये वंचितता संकेतांक तैयार किये हैं। इस अध्ययन के अनुसार, **NRrhl x<+** में नगरीय परिवारों के 13.67% दूर-दूर के स्थानों से

1. छत्तीसगढ़ के विकास पथ की हमारी समझ हमें मुख्य धारा के आर्थिक सिद्धांतों की कतिपय सीमाओं को रेखांकित करने में सहायक हो सकती है।

पीने का पानी ला रहे हैं, 37.04% के घरों में कोई निकासी सुविधा नहीं है, तथा 47.71% को कोई शौचालय सुविधा नहीं है। तीन सेवाओं से संबंधित **ofprrk l drkd** 27.95% आंका गया है जबकि यह **l i wkl ns'k** के लिये 16.79% है। यह दर्शाता है, कि तीन मूलभूत सेवाओं—जल आपूर्ति, निकासी एवं साफ-सफाई के मामलों में राज्य को अभी काफी रास्ता तय करना है।

- 9.2.14 हाल ही में राज्य ने एक अध्ययन प्रारंभ कराया है जिसका उद्देश्य राज्य में मूलभूत सेवाओं एवं अधोसंरचना की कमी का पता लगाना है। **l kj .kh Ø- 9-4** में नगरीय क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं की स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। “**v/klk j puk fodkl & NRrhl x<+ ds fy; s dk; z kst uk**” नामक रिपोर्ट में सेवाओं की गुणवत्ता एवं स्तर में सतत सुधार के लिये एक योजना प्रस्तुत की गई है।

अनुमान है, कि नगरीय जनसंख्या की लगभग 25% जनसंख्या गंदी बस्तियों में निवास करती है।

- 9.2.15 राज्य में नगरीकरण की स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा से स्पष्ट होता है, कि राज्य देश के कम नगरीकृत राज्यों में से एक है, परन्तु आशा की जा सकती है, कि पृथक राज्य का दर्जा मिलने के बाद नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आयेगी बशर्ते राज्य के विकास के लिये उचित आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ अपनाई जाये तथा दोहरेपन के संकेतांक में कमी हो।

- 9.2.16 नगरीकरण की प्रक्रिया को तभी बढ़ावा मिलेगा जब गैर-कृषि क्षेत्रों में गतिविधियाँ बढ़ें, उनसे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार निर्मित हो तथा जिसके फलस्वरूप भारी कृषि श्रम शक्ति का एक भाग गैर कृषि गतिविधियों में स्थानांतरित हो। यदि अर्थव्यवस्था के दोहरेपन में वृद्धि होती है, जैसा कि क्षेत्र-गत वृद्धि दरों तथा कार्यशील जनसंख्या का कृषि से गैर-कृषि में स्थानान्तरण से स्पष्ट होता है, तो नगरीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जायेगी।

9.3.0 छत्तीसगढ़ में नगरीय स्व-शासन :

- 9.3.1 छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की स्थिति की चर्चा के पश्चात् हम स्थानीय स्व-शासन के कार्यों एवं वित्त की चर्चा करेंगे, जिनके ऊपर नगरीय क्षेत्रों को शासन व्यवस्था प्रदान करने का दायित्व है। काफी हद तक नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास, **u-LFkk-fudk; ka** द्वारा प्रदत्त कार्यों एवं सुविधाओं पर निर्भर करता है।
- 9.3.2 यद्यपि छत्तीसगढ़ एक नवगठित राज्य है तथा उसे बने अभी पाँच वर्ष ही हुये हैं, नये राज्य के इस भू-क्षेत्र में न. स्था. नि.एक शताब्दी से अधिक समय से अस्तित्व में हैं तथा लम्बे समय से अपने मूलभूत एवं नियामक कार्यों का निष्पादन करते रहे हैं।
- 9.3.3 देश की आजादी के साथ **l kelftd&vkfFkd l qkkjka dk , d u; k v/; k; i kjElk** हुआ। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अपेक्षा की गई कि अब नगरीय प्रशासन मात्र स्व-शासन की कला का प्रशिक्षक नहीं समझा जायेगा, वरन् उसे लोक-प्रशासन एवं **l kelftd&vkfFkd i fforLka** की संपूर्ण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनना होगा। यद्यपि भारतीय संविधान राज्य को निर्देशित करता है कि वह स्व-शासन की इकाइयों की स्थापना एवं उनके सशक्तीकरण के लिये आवश्यक कदम उठाये, परन्तु वह स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जा सकने वाले करों की किसी पृथक सूची का प्रावधान नहीं करता। यहाँ तक कि 74वाँ संशोधन जिसने उनके कार्यक्षेत्र में काफी विस्तार किया है, में भी स्थानीय करारोपण की कोई पृथक व्यवस्था नहीं की गई है, भले ही उसने स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है तथा प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को साधनों के अंतरण संबंधी अनुशंसायें करने हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया है। इन सबके बावजूद स्थानीय निकाय राज्यों से करों की अपनी सूची में से उपयुक्त समझे जाने वाले करों को स्थानीय निकायों को सौंपने के मामलों में राज्य सरकारों पर निर्भर बने हुये हैं।
- 9.3.4 **NRrhl x<+** राज्य के अंतर्गत आने वाले भू-क्षेत्र के स्थानीय निकायों को भारत में समय-समय पर होने वाले राज्य पुनर्गठनों के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्षेत्र का स्वरूप तीन बार बदला है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एवं स्वतंत्रता के पश्चात् भी पूर्व राज्य मध्यप्रदेश, जिसकी राजधानी नागपुर थी तथा जो हिन्दी एवं मराठी के साथ द्वि-भाषी राज्य था, में समाहित होने के पहले काफी लम्बे

समय तक सेन्ट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार (सीपी एण्ड बरार) का हिस्सा था। वर्ष 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तथा हिन्दी भाषी राज्यों/क्षेत्रों का राज्य मध्यप्रदेश बना, जिसकी राजधानी भोपाल थी, तब द्वि-भाषी पूर्व मध्यप्रदेश का छत्तीसगढ़ भू-भाग नये मध्यप्रदेश का अंग बना दिया गया। ठीक 44 वर्ष तक मध्यप्रदेश का अंग रहने के बाद एक नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य का दर्जा मिला तथा रायपुर उसकी राजधानी बनी। भू-क्षेत्र के एक से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित संस्थागत विधिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन हुये तथा इससे स्थानीय निकायों की गतिविधियों की निरंतरता प्रभावित हुई।

9.3.5 वर्तमान छत्तीसगढ़ के भू-भाग में समय-समय पर **u-LFkk-fudk; ka** से संबंधित निम्नलिखित अधिनियम प्रभावशील रहे :-

- (1) सेन्ट्रल प्राविन्सेस एवं बरार नगरपालिका अधिनियम 1922 यथा 1927 से 1956 के बीच संशोधित।
- (2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 यथा समय-समय पर संशोधित।
- (3) मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 यथा समय-समय पर संशोधित।
- (4) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ निर्माण से पूर्व के मध्यप्रदेश में लागू स्थानीय निकायों से संबंधित सभी अधिनियम तथा संबंधित विनियम उस समय तक छत्तीसगढ़ में लागू कर दिये गये हैं, जब तक राज्य की नई विधायिका उन्हें संशोधित नहीं कर देती। वर्तमान में दो अधिनियम क्रियाशील है - **1/4½ NRrhl x<+ uxj i kfydk vf/kfu; e ,oa 1/2½ NRrhl x< uxj i kfydk fuxe vf/kfu; eA**

9.3.6 वर्ष 1992 में हुये 74वें संविधान संशोधन के परिपालन में तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य उन राज्यों में से एक था, जिन्होंने सर्वप्रथम तदनु रूप स्थानीय निकायों संबंधी अपने अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये। परन्तु संवैधानिक संशोधनों ने स्थानीय शासन की मूलभूत संरचना निर्धारित करने, जिसमें उनका संगठन, शक्तियाँ, अधिकार,

कार्य—जिनमें वित्तीय साधन जुटाने तथा आडिट एवं लेखे भी शामिल हैं, की राज्य विधायिका की शक्तियों को कम नहीं किया है।

9.3.7 नये राज्य *NRrh x<+ने* तत्कालीन *e/; insk* के सभी अधिनियमों को, विनियमों को शामिल करते हुये दिनांक 1 नवम्बर 2000 से अंगीकार कर लिया था तथा इस प्रकार राज्य के स्थानीय निकायों की गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित कर दी थी। समय—समय पर राज्य सरकार ने वर्तमान अधिनियमों में संशोधन एवं नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन किया है। नये राज्य के गठन के बाद से स्थानीय निकायों के चुनाव विधिवत राज्य के चुनाव आयोग की निगरानी में हुये हैं। एक—तिहाई स्थान महिला प्रत्याशियों के लिये आरक्षित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया गया है। *esj u-LFkk-fudk; ka ds v/; {k , oa ftyk ipk; rk tuin ipk; rk , oa xte ipk; rk ds v/; {ka ds in* अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला प्रत्याशियों से उनके लिये उपलब्ध आरक्षणों के आधार पर रोस्टर प्रणाली से भरे जाते हैं।

9.3.8 *iFke foRr vk; ks dk xBu 2003 es gqkA* इस आयोग की अनुंसाओं एवं उन पर राज्य सरकार की *dr&dk; bkgf fjikvZ* के आने तक *jkt; Ijdkj vfohkftr e/; insk ds iFke foRr vk; ks dh vuq'kd kvla dks ykxw djrh jgh gA* तदनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2002—2003 में अपने स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 7.2% *LFkkuh; fudk; ka* को हस्तांतरित किया, जिसमें से 4.89% *u-LFkk-fudk; ka* को तथा शेष *xteh.k LFkkuh; fudk; ka* को गया। वर्ष 1998—99 में *u-LFkk-fudk; ka* को *jkt; dksk I s I ki a x; sjktLo] jkt; djka es fgLI skjh rFkk vuqkuka ds : i es muds dy jktLo* का 33.4% मिला, जो 2002—2003 में बढ़कर 57.21% हो गया।¹ संभव है राज्य द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में *u-LFkk-fudk; ka* को साधनों के हस्तांतरण के कारण ही उनके बजटों में अतिरेक देखने को मिला, जो उनके कुल राजस्व का उनके कुल व्यय की तुलना में अधिकता से स्पष्ट होता है।

1. छत्तीसगढ़ सरकार, वित्त विभाग, 12वें वित्त आयोग को प्रस्तुत स्मृति—पत्र नवम्बर, 2003 पृष्ठ—81.

- 9.3.9 राज्य सरकार स्थानीय निकायों की पुनर्रचना के प्रति उत्सुक हैं, यह *XIIoa foRr vk; ksx* को उसके द्वारा प्रस्तुत स्मृति-पत्र से स्पष्ट होता है। स्मृति पत्र में लिखा गया है कि “राज्य का अभी नया गठन हुआ है तथा वह अपनी कार्य दिशाओं को तय करने का प्रयास कर रही है, अतएव हम अपना मूल्यांकन ऐसे ऐतिहासिक निष्पादन के आधार पर नहीं कराना चाहेंगे, जो आस्तित्व में ही नहीं है... तत्कालीन मध्यप्रदेश के प्रथम वित्त आयोग की अनुशंसाओं का उनकी अधिनिर्णय अवधि के काफी समय बाद तक पालन करते हुये राज्य विकेन्द्रीकरण को तार्किक रूप से लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है।”²
- 9.3.10 संशोधन अधिनियम में *XIIoha vuq ph* को शामिल करने से नगर पालिका प्रशासन में एक नया आयाम जुड़ गया है तथा बड़ी-बड़ी आशाये जागृत हो गई हैं कि सूची में सम्मिलित योजनाओं एवं विषयों को क्रियान्वित करने का कार्य स्थानीय निकायों को सौंपा जायेगा तथा इसके साथ ही इन निकायों को आवश्यक राशियों एवं कार्मिकों का भी हस्तांतरण होगा। परन्तु मोटे तौर पर स्थिति यह है कि ऐसा नहीं हुआ है। हमारे मत में 73वाँ एवं 74वाँ संशोधन मात्र इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, न कि राज्यों को इस बात का अधिदेश कि वे राशियों एवं कार्मिकों के साथ कार्यों का हस्तांतरण करें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें ऐसे मामलों से संबंधित कार्यों एवं वित्त की अपनी शक्तियों को छोड़ने के प्रति उत्सुक नहीं रहे हैं, जो प्रमुखतः स्थानीय प्रकृति के हैं।
- 9.3.11 परिच्छेद 243(w) के अंतर्गत *XIIoha vuq ph (vuqyud dz 9-1)* में 18 विषयों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरण का प्रावधान है। उनके परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त अनुसूची में नगरीय नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये नियोजन, पर्यावरण सुरक्षा, कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा, गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन, नगरीय गरीबी दूर करना तथा नगरीय जीवन के सांस्कृतिक, कलात्मक एवं शैक्षणिक पहलुओं का संवर्धन जैसे कार्य भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंगीकृत तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के अधिनियमों में अनुसूची में शामिल ये सभी विषय एवं कार्य शामिल हैं।

2. वही, पृष्ठ 82.

9.3.12 संवैधानिक संशोधनों के प्रावधानों पर आधारित नई व्यवस्था में राज्य में तीन प्रकार के **u-LFkk-fudk; k** की स्थापना की गई है :

- (i) बड़े नगरीय क्षेत्रों में **uxj ikfyd fuxe**,
- (ii) छोटे एवं मध्यम कस्बों में **uxj ikfydk ifj'kn**,
- (iii) 20000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों में **uxj ipk; r**, ये ग्रामों से शहरों की ओर संक्रमण क्षेत्र कहे जा सकते हैं।

9.3.13 **I kj.kh Ø- 9-5 ea jkT; dh foflklu idkj ds uxjh; fudk; k dkj mudh tul ;k ,oa jkT; dh dy uxjh; tul ;k ea ml ds ifr'kr vk ds I kfk** दर्शाया गया है।

सारणी स्पष्ट करती है, कि वर्ष 2001 में लगभग 62% नगरीय जनसंख्या **uxj ikfyd fuxe** में केन्द्रित थी तथा इसमें 1991 के 61% की तुलना में वृद्धि हुई। **uxj ikfydk ifj'kn** के अंश में वृद्धि 1991 के 20.23% से 2000-2001 में 21.58% के फलस्वरूप थी। यह वृद्धि परिषदों की संख्या के 21 से बढ़कर 28 होने तथा कुछ के आकार-वर्ग के आगे बढ़ने से हुई। नगरीय जनसंख्या में **uxj ipk; r** के अंश में थोड़ी कमी हुई तथा यह 1991 के 18.77% से कम होकर 2001 में 16.29% हो गई। इसका कारण है कुछ पंचायतों का उच्च आकर-वर्ग में चले जाना तथा उनके स्थान पर नई **uxj ipk; r** का गठन जिनकी जनसंख्या कम है। प्रत्येक आकार-वर्ग में स्थानीय निकायों की औसत जनसंख्या काफी कम है 2001 में, **uxj ikfyd fuxe** की 268879, **uxj ikfydk ifj'kn** की 33345 तथा **uxj ipk; r** में 9792।

9.3.14 **I kj.kh Ø- 9-6** में राज्य के नगर पालिक निगमों की 1991 एवं 2001 की जनसंख्या तथा उनकी दशकीय वृद्धि दरें प्रस्तुत की गई है।

राज्य की राजधानी होने के कारण 1991-2001 में जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में पाई गयी। समस्त **uxj ikfyd fuxe** में रायपुर की जनसंख्या सबसे अधिक है तथा निकट भविष्य में उसके और तेजी से बढ़ने की आशा है। 2001 में राज्य के **uxj**

ikfyd fuxek की औसत जनसंख्या 268879 थी, जबकि यह 1991 में 271905 थी। राज्य में एक भी महानगर नहीं है। जहाँ नगरीय बसाहट का आकार बहुत बड़ा नहीं होता वहाँ नगरीय समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है।

9.4.0 कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण :

9.4.1 जैसा कि पूर्व में ही देखा गया है, राज्य सरकार ने न.स्था.निकायों के कार्यों के विकेन्द्रीकरण के मामले में काफी तत्परता दिखाई है तथा **vud ph XIIoh** में शामिल लगभग सभी कार्य एवं विषय नगर पालिका अधिनियम में शामिल कर लिये गये हैं, परन्तु इसके साथ-साथ राशियों एवं कार्मिकों का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है, जिसका परिणाम यह है, कि न.स्था.निकायों की अपने कार्यों को सुचारू रूप से एवं कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमता बाधित एवं सीमित हुई है।

9.4.2 **uxj ikfydk fuxe** अधिनियम 1956 के अध्याय-V की धारा 66 एवं **uxj ikfydk vf/kfu; e** 1956 की धारा 123 समय-समय पर यथा संशोधित में क्रमशः राज्य के **uxj ikfyd fuxek**, **oa uxj ikfydkvka** के अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्यों का प्रावधान किया गया है। इन कार्यों के अतिरिक्त राज्य के **u-LFkk-fudk; ka** को वे कार्य भी निष्पादित करने होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार अपने एजेन्ट के रूप में सौंपती है। उनके कार्यों को मोटे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा, लोक शिक्षा एवं मनोरंजन, कल्याणकारी क्रियायें, कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना, गरीबी दूर करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये नियोजन में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन कार्यों को विस्तृत रूप से इस अध्याय के अनुलग्नक क. 9.2 एवं 9.3 में प्रस्तुत किया गया है।

9.4.3 **vf/kfu; e ds varxr] rhu yk[k l s vf/kd tul [; k okys u-LFkk-fudk; ka ds fy; s ; g vko'; d g\$ fd os viuh l okvka ds ink; ds n{krk Lrj ea l qkkj dh n"V l s , d ; k vf/kd okMk ea okMZ l fefr; ka dk xBu dja** अधिनियम में मंत्र के प्रत्यक्ष चुनाव एवं स्पीकर के चुनाव के लिये सीटों का आरक्षण, मंत्र एवं स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, मंत्र-इन-काउन्सिल के गठन तथा मंत्र द्वारा निर्धारित विभागों के प्रभारी सदस्यों के लिये प्रावधान किये गये हैं।

9.4.4 अनेक राज्यों में राज्य सरकारों ने स्थानीय कार्यों का क्रमिक हनन किया है। प्रवृत्ति यह रही है, कि वे अपने अधिकांश पूँजीगत निर्माण कार्य शहरों में अपने प्राधिकरण के माध्यम से सम्पन्न कराते हैं तथा योजना राशियों का बड़ा भाग इन प्राधिकरणों के माध्यम से व्यय होता है परन्तु जब आस्तियाँ निर्मित हो जाती हैं, तो उन्हें रख-रखाव के लिये स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। **u-LFkk-fudk; k** के पास उनके उचित रख-रखाव के लिये पर्याप्त साधन नहीं होते, जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ-साथ रख-रखाव अंतराल बढ़ता जाता है। **uxj ikfydk ifj 'knk** एवं **uxj ikfyd fuxe** के कुछ कार्य अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाते हैं। नगरीय विकास एवं नियोजन का कार्य अनेक विभागों जैसे – आवास, स्थानीय स्व-शासन, टाऊन एवं कण्ट्री नियोजन, गंदी बस्ती सुधार, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं पर्यावरण में बंटा हुआ है। यह आवश्यक है कि नगरीय विकास एवं नियोजन के क्षेत्र में क्रियाशील सभी प्राधिकरण स्थानीय नगरीय निकायों के न्यायोचित अधिकार क्षेत्र से अपने आपको अलग करें तथा यदि उनकी विशेष योग्यता के कारण उन्हें बनाये रखना आवश्यक ही हो, तो उन्हें नगर प्रशासन के अंग के रूप में कार्य करना चाहिये। समन्वित नगरीय विकास के लिये नगरीय विकास एवं नियोजन का कार्य एक ही प्राधिकरण को सौंपने की दृष्टि से ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है। टाऊन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग विभाग भले ही राज्य के विभिन्न कस्बों एवं शहरों के लिये योजनायें बनायें, परन्तु यह सब न.स्था.निकायों द्वारा दिये गये ढाँचे एवं उनके निर्देशानुसार हो। कस्बों की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्रों की योजनायें न.स्था.निकायों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध राशियों के अनुसार बनाये। आयोग की यह दीर्घकालीन अनुशंसा है। छत्तीसगढ़ एक नवगठित राज्य है तथा वह उन प्राधिकरण के बारे में नये सिरे से विचार करने में सक्षम है, जो तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य में विद्यमान थे। वह विभिन्न विभागों एवं संगठनों की गतिविधियों को पुनर्गठित कर सकने की स्थिति में हैं। उसे स्थानीय निकायों की प्रशासकीय आवश्यकताओं एवं अनेक प्राधिकरण के बीच समायोजन की आवश्यकता पर ध्यान देते हुये उनके कार्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना होगा।

9.5.0 वित्तीय विकेन्द्रीकरण :

9.5.1 वित्तीय विकेन्द्रीकरण के बिना कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण अर्थहीन होगा। स्थानीय निकायों को लागू अधिनियमों में उन्हें कर एवं गैर-कर स्रोतों से साधन जुटाने के पर्याप्त अधिकारों का प्रावधान होना चाहिये। संघीय व्यवस्था में स्थानीय निकायों के वित्त में राज्य एवं केन्द्र सरकारों से साधनों के हस्तांतरणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परन्तु राजकोषीय स्वायत्तता, जो स्थानीय निकायों को स्व-शासित इकाइयों के रूप में विकसित करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है, को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि वे उच्च-स्तरीय सरकारों पर निर्भरता कम करने के लिये साधनों के प्रमुख स्रोत के रूप में अपने स्वयं के स्रोत विकसित करें।

9.5.2 *uxj ikfyd fuxe vf/kfu;e* के अध्याय XI की धारा 132 *¼/uy/kud dz 9-4½* तथा *uxj ikfydk vf/kfu;e* की धारा 127 *¼/uy/kud dz 9-5½* में क्रमशः *uxj ikfyd fuxe* एवं *uxj ikfydk ifj 'knk }kjk yxk; s tkus okys djka dk iko/kku g* लगाये जाने वाले अनिवार्य कर हैं—सम्पत्ति-कर, जल-दर, स्वच्छता-कर, सामान्य प्रकाश-कर, सामान्य अग्निशमन-कर तथा उपभोग एवं बिक्री हेतु नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा में आने वाली वस्तुओं पर प्रवेश कर। अनिवार्य करों के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकायों को कतिपय विवेकाधीन कर जैसे – शौचालय अथवा सफाई व्यवस्था कर, नाली कर, वाहनों एवं पशुओं के मालिकों पर कर, पशुओं के पंजीकरण पर फीस, बाजार में बिक्री हेतु आने वाली वस्तुओं पर बाजार फीस, सम्पत्ति पर सुधार-कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त विज्ञापनों पर कर, तीर्थ-यात्रियों पर कर, सिनेमाघरों, नाटकों एवं अन्य सार्वजनिक मनोरंजनों पर कर, चुंगी-कर, स्थानीय निकाय की सीमाओं से बाहर जाने वाले माल एवं पशुओं पर सीमा कर तथा ऐसा कोई भी अन्य कर जिसे भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार को लगाने का अधिकार है, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् लगाने के अधिकार दिये गये हैं। करों की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा राज्य सरकार के नियंत्रण अनुसार होगी। स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये करों के विनियम बनाने के अधिकार राज्य सरकार के पास हैं। धारा 162 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी नगरीय शासन को ऐसे किसी कर को लगाने जिसके लिये वे अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत हैं तथा यदि सरकार यह अनुभव करती है कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य कर्तव्यों के निर्वहन के लिये राजस्व पर्याप्त नहीं है, तो कर की वर्तमान दर में वृद्धि करने के लिये कह सकती है।

- 9.5.3 अधिनियम में 1998 में हुये एक संशोधन के अनुसार नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 332 के अंतर्गत नगर पालिक निगम को निगम की सीमाओं में स्थित अचल-सम्पत्ति के हस्तांतरण पर संपत्ति के मूल्य के 1% के बराबर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाने का अधिकार है। परन्तु कर की वसूली मय स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा की जायेगी तथा राज्य सरकार प्रत्येक निगम को उस निगम की सीमाओं में स्थित सम्पत्ति से संबंधित वसूला गया अतिरिक्त शुल्क, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वसूली व्यय काटकर सहायता अनुदान के रूप में देगी।
- 9.5.4 यद्यपि विधान में न.स्था.निकायों को बड़ी संख्या में कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं, फिर भी अधिकांश निकाय अनिवार्य कर तथा कुछ विवेकाधीन कर ही लगा रहे हैं। नगर पालिका कर न.स्था.निकायों के राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत नहीं बन सके हैं। अधिकांश कर कम उत्पादक एवं कम लोचदार हैं, कर राजस्व वसूलने में ढिलाई है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकरणों में बड़ी-बड़ी राशियाँ बकाया हो गयी है।
- 9.5.5 नगरीय स्थानीय निकाय जनता को अनेक सेवायें उपलब्ध कराते हैं, जैसे पेयजल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश, सफाई, नाली व्यवस्था, नगर पालिका बाजारों का निर्माण एवं उनका रखरखाव, वघगृहों का निर्माण एवं रखरखाव, वाहनों के लिये पार्किंग स्थलों की व्यवस्था, पार्क, बगीचे एवं मनोरंजन स्थलों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव, पशुचिकित्सालयों का निर्माण एवं रखरखाव, सडकों, नालों एवं पुलों का निर्माण एवं रखरखाव, कचरा निपटान, तथा न.स्था.निकाय इकाइयों/संस्थानों के माध्यम से अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रदाय एवं नियमन। इनमें से कुछ वस्तुयें एवं सेवायें मुफ्त अथवा पोषित मूल्यों पर दी जाती है: तथा कुछ के लिये नगरीय निकाय समुचित मूल्य अथवा उपभोक्ता मूल्य वसूलते हैं। वर्तमान में गैर-कर राजस्व, कुल न.स्था.निकाय राजस्व के अत्यन्त कम अनुपात में है। इस स्रोत को काफी सीमा तक विकसित किया जा सकता है। कतिपय न.स्था.निकाय सेवाओं के लिये उपभोक्ता मूल्यों के विषय पर देश में काफी चर्चायें हुई हैं, परन्तु अभी तक निश्चित परिणाम नहीं निकला है। चर्चा जारी है। हम एक अगले अध्याय में उपयुक्त स्थान पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी इतना उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा, कि गैर-कर राजस्व न.स्था.निकायों के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है।

9.6.0 भविष्य पर दृष्टि :

- 9.6.1 देश में आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद से श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं उत्पत्ति के अन्य साधनों की विभिन्न राज्यों एवं देशों के बीच गतिशीलता में वृद्धि हुई है तथा समस्त विश्व में वैश्वीकरण की ओर झुकाव है। अनेक मामलों में नगर प्रशासन की राजकोषीय समस्याओं में वैश्विक आर्थिक पुनर्रचना तथा श्रम एवं पूंजी के स्थान परिवर्तनों के कारण वृद्धि हुई है। यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य अभी इन परिवर्तनों से बहुत कम प्रभावित हुआ है परन्तु देश के अनेक अन्य शहरों के अनुभवों के प्रकाश में इसे काफी पहले से ही अपनी तैयारी करनी होगी। शहरों एवं शहर प्रशासनों के बीच घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। वैश्वीकरण से निश्चित ही नगर आधारित अधोसंरचना एवं सेवाओं की माँग बढ़ेगी जिसे पूरा करने के लिये नगर प्रशासन को नयी वित्तीय एवं अन्य साझेदारियाँ विकसित करना होंगी तथा स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक एवं निजी सहयोग के नये स्वरूप स्थापित करने होंगे। राज्य सरकार को भी इन मामलों से निपटने के लिये पहले से ही तैयारी करनी होगी। उसे न.स्था.निकायों के कार्यों एवं वित्त के संबंध में अपने पारम्परिक दृष्टिकोण को बदलना होगा अन्यथा राज्य को अव्यवस्थित नगरीकरण तथा बढ़ती हुई गन्दी बस्तियों एवं कालोनियों की समस्याओं से जूझना होगा।
- 9.6.2 आज न.स्था.निकायों के अनेक कार्यों के महत्वपूर्ण पुनर्वितरण एवं आपसी अधिकार क्षेत्र संबंधी उलझाव हैं। इन कार्यों में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हेतु नियोजन, नगरीय गरीबी दूर करना, नगरीय वनीकरण तथा पर्यावरण सुरक्षा शामिल हैं। प्रश्न यह है कि कौन और किस स्तर की सरकार को इन सेवाओं का वित्त पोषण करना चाहिये तथा इनके वित्तीयन एवं प्रबंधन में केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिये। परन्तु एक बात निश्चित है, कि इन कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के विकेन्द्रीकरण से सेवा प्रदाय की कुशलता में वृद्धि एवं सार्वजनिक व्ययों में कमी होगी।
- 9.6.3 उठने वाला एक अन्य प्रश्न है कि विभिन्न संबंधित पक्षकारों, निर्वाचित प्रतिनिधि, नौकरशाही एवं नगरीय समाज की नगर शासन में क्या भूमिका होनी चाहिये। नगरीय प्रशासन को अपने वित्तीय लेखांकन एवं प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन करना होगा,

जिससे नगर पालिक व्यय का बेहतर प्रबंधन हो सके। हाल के वर्षों में एक प्रमुख परिवर्तन यह हुआ है कि अनेक नगरीय सेवाओं एवं कार्यों का निजीकरण हुआ है तथा इन सेवाओं की व्यवस्था, प्रदाय एवं प्रबंधन में निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है। कुछ नगर प्रशासनों ने अपनी बढ़ती हुई अधो-संरचनात्मक आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था हेतु पूंजी बाजार का सहारा लिया है।

9.6.4 अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि अब अनेक ऐसी नगरीय सेवाओं एवं अधो-संरचना की सार्वजनिक उपयोगितायें नहीं हैं जिन्हें मुफ्त अथवा नाम मात्र मूल्य पर उपलब्ध कराया जाय और न ही ये आर्थिक वस्तुयें हैं, जिनसे लाभ अर्जित किया जाय। न.स्था.निकायों से अपेक्षा है, कि वे उनके द्वारा प्रदत्त कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं से उचित मात्रा में राशियाँ जुटायें।

9.6.5 देश के आर्थिक विकास एवं घरेलू तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामलों में नगरीय क्षेत्रों की भूमिका के महत्व को स्वीकारते हुये भारत शासन ने हाल ही में ***tokgyky ug: jk'Vh; uxjh; uohuhdj.k fe'ku*** नाम से एक सात वर्षीय वृहद परियोजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य नगरीय अधो-संरचना का विकास करना होगा तथा जिसकी लागत एक लाख करोड़ रूपयों से अधिक की होगी। योजना में 60 नगरों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख अथवा इससे अधिक है। जो राज्यों की राजधानियाँ हैं तथा जो धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं—न.स्था.निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार, उनकी साख-क्षमता एवं नयी परियोजनाओं के लिये पूंजी बाजार में उनकी पहुँच में सुधार तथा सेवाओं के प्रदाय में जनभागीदारी एवं व्यापारिक स्थायित्व निर्मित करना। राज्यों एवं स्थानीय निकायों को मिलने वाली इतनी अधिक सहायता राशि को इकाई स्तर पर सुधारों को लागू करने से जोड़ा जायगा, जो अधो-संरचना विकास के लिये आवश्यक प्रोत्साहन का कार्य करेगा।

9.6.6 केन्द्रीय सरकार दो अन्य समानान्तर योजनायें प्रारम्भ करेगी (एक) छोटे एवं मध्यम शहरों की अधोसंरचना विकास योजना तथा (दो) आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम।

9.6.7 केन्द्रीय परियोजनाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने के लिये राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों को अपने क्रिया-कलापों एवं वित्तीय संसाधनों में परियोजनायें प्रारम्भ होने के काफी पहले सुधार करना होगा। *uxjh; fudk; dk; k* एवं *uxjh; fudk; fojk* दोनों, में दीर्घकालीन नियोजन की आवश्यकता है।

सारणी क्र. 9.1
dy tul ;k l uxjh; tul ;k dk ifr'kr
NRrh x< e/; insk , oahkkjr½
¼1991 , oa2001½

	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	n'kdh; of) nj	
												1991	2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
छ.ग.	3.08	2.44	3.10	3.42	4.32	4.88	8.33	10.38	14.69	17.40	20.09	48.90	36.24
मध्य प्रदेश	10.49	8.23	9.18	10.22	11.98	14.87	16.64	18.58	22.34	25.27	26.67	43.92	31.19
भारत	10.85	10.29	11.18	11.99	13.86	17.29	17.97	19.91	23.34	25.71	27.78	36.47	31.13

स्रोत: जनसंख्या के अंतिम आंकड़ें ग्रामीण नगरीय वितरण - 2001 का पेपर - 2, भारत की जनगणना 2001, छत्तीसगढ़-श्रृंखला 23, पृ. 4-5.

सारणी क्र. 9.2
jkT; dsftya ea uxjhj.k dk Lrj&2001

Ø-	ftyk	uxjh; tul ;k dk %	uxjh; tul ;k of) ¼½½ 1991-2001	dLcka dh l ;k; k 2001
1	2	3	4	5
1	कोरिया	29.8	5.54	6
2	सरगुजा	7.0	60.65	7
3	जशपुर	4.6	33.22	2
4	रायगढ़	13.4	23.25	5
5	कोरबा	36.3	127.27	4
6	जांजगीर-चांपा	11.0	22.48	8
7	बिलासपुर	24.4	12.75	14
8	कवर्धा	7.7	30.87	2
9	राजनांदगांव	18.1	14.20	7
10	दुर्ग	38.2	26.26	12
11	रायपुर	30.4	49.77	14

12	महासमुंद	11.4	27.50	5
13	धमतरी	13.2	12.70	2
14	कांकेर	4.8	55.03	1
15	बस्तर	10.0	19.28	4
16	दन्तेवाड़ा	7.2	61.44	4
NRrhl x<		20.18	36.24	97

(स्रोत—'Population Profile- Census of India 2001' जनगणना संचालनालय, छत्तीसगढ़, भोपाल, पर आधारित) पृ. 84

सारणी क्र. 9.3
NRrhl x<+jKT; ea uxjh; Jskh c) rk
1991, 2001

dLck dk oxl	tul d; k foLrkj	dLckadh l d; k		tul d; k 2001 ea	dy uxjh; tul d; k dk %	vkr tul d; k
		1991	2001			
1	2	3	4	5	6	7
I	>1 lakh	5	7	26,31,492	63.02	3,75,927
II	50,000 to 99,999	6	5	3,73,289	8.94	74,658
III	20,000 to 49,999	12	20	5,50,099	13.17	27,505
IV	10,000 to 19,999	35	32	4,64,307	11.12	14,510
V	5,000 to 9,999	23	20	1,56,142	3.74	7,807
VI	<5000	2	0	-	-	-
; kx		83	84	41,75,329	100	49,706

(स्रोत—भारत की जनगणना – छत्तीसगढ़, श्रेणी 23, कुल जनसंख्या अंतिम)

सारणी क्र. 9.4
uxjh; uxjh; l fo/kk; a & foLrkj

Ø-	l ok; a	uxjh; tul d; k mi yC/krk
1	2	3
1	सुरक्षित जल आपूर्ति	90%

2	साफ-सफाई	49%
3	नाली/निकासी व्यवस्था	28%
4	कम लागत साफ-सफाई सुविधा	21%
5	कचरा संग्रहण बड़े शहर	90%
6	कचरा संग्रहण छोटे शहर	<50%

(स्रोत-छत्तीसगढ़ के लिए अधो-संरचना विकास कार्य योजना)

सारणी क्र. 9.5

जल आपूर्ति, नाली/निकासी व्यवस्था, कचरा संग्रहण एवं नगरपालिका
1991, 2001

क्र.	विवरण	नाली/निकासी व्यवस्था		कचरा संग्रहण		नगरपालिका		कुल व्यय (ला. करो.)	
		1991	2001	1991	2001	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नगरपालिका	6	10	1631427	2688792	271905	268879	61.00	62.13
2.	नगर पंचायत	21	28	541197	933671	25771	33345	20.23	21.58
3.	कुल	57	72	501949	705010	8806	9792	18.77	16.29
		84	110	2674573	4327473	31840	39341	100.00	100.00

सारणी क्र. 9.6

नगरपालिका, नाली/निकासी व्यवस्था, कचरा संग्रहण एवं नगरपालिका
1991, 2001

क्र.	विवरण	नाली/निकासी व्यवस्था		कुल व्यय (ला. करो.)
		1991	2001*	
1	2	3	4	5
1	रायपुर	461815	758181	64.17
2	भिलाई	472490	556366	17.75
3	दुर्ग	150645	232517	54.35

4	राजनांदगांव	125371	143770	14.68
5	जगदलपुर	-	103216	-
6	बिलासपुर	179833	275694	53.31
7	कोरबा	241273	315690	30.84
8	रायगढ़	-	111154	-
9	अंबिकापुर	-	95823	-
10	चिरमिरी	-	96381	-
; kx		1631427	2688792	40.22

स्रोत – *नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग